रणछोड़ पु. [illegible]

2007/00003

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दरख्वास्त पक्ष उप॰। वादी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र O22 R3 CPC का पेश किया जो शामिल मिसल किया। बाद बहस प्रा॰ पत्र व [illegible] को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर फलोदी (जोधपुर)	
12/2/2020	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। दावा फलोदी कस्बे के सरहद मौजा खसरा नं. 171 रकबा 365 बीघा 12 बिस्वा के लिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये लाया गया है। वादग्रस्त भूमि राज रकबा है तथा काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पश्चात भूमि कभी भी वादियों के हक में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने का विवरण पत्रावली में नहीं है। सिर्फ प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी का दावा लाया गया है। चूंकि दावेदार रणछोड़ की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वारिसान O22 R4 का प्रार्थना पत्र लाए हैं, ऐसी स्थिति में प्रतिकूल कब्जा के रूप में दावा लाने वाले वादी की मृत्यु ही हो चुकी है, इस O22 R4 के आवेदन को स्वीकार करने में कोई मेरिट नहीं है। अतः O22 R4 की एप्लीकेशन खारिज की जाती है। अन्य वारिसों के रूप में अन्य दावेदारों की O22 R4 को भी इसी बिना पर खारिज किया जाता है। O22 R4 के प्रार्थना पत्र खारिज करने से दावा सारहीन है तथा चलने लायक नहीं है। अतः दावा खारिज किया जाता है। फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर फलोदी (जोधपुर)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.03.04 13:51:20 IST
Reason: SelfAttested